

श्रीमती धनू प/3 देवीलाल
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स. जज.
प्रबन्ध पत्र 216/2019 (2019/00388)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

20/10/2024

पत्रावली क्रि.सं. 2/प्रबन्ध श्री देवीलाल विरा
सौरभ गुजर द्वारा प्राप्त गांवों के सार
अभियाग 2021 के तहत गा.प. ओछडी पर
अभियोग विधि में प्रथम पत्र प्रस्तुत करने
पर; प्रजली गा.प. कोडूर पर अभियोग
विधि में प्रस्तुत करने के निर्देशानुसार आज
प्रजली कोडूर पर पत्र डी/ तमने प्रजली
का अवलोकन किया। प्रजली गा.प.
श्रीगणेशजी का खेज पणहू सेन्टी स्थित
अपनी खेतपारी आबादी संख्या 553/84 रकबा
0.0550 एव आ.नं. 74 रकबा 0.3700 हे. भूमि
की पत्तागरी करना चाहते हैं। प्रजली में उपलब्ध
नक्शा नम्बर 2070-2073 अनुसार
श्रीगणेशजी का खेज की आ.नं. 553/84 प्रथम
के तना आ.नं. 74 प्रजली एव विपरीत परम्परा 1 के
नाम दर्ज रेकार्ड हो अतः प्रजली का प्रथम
पत्र अर्न्तगत धारा 128 CR Act (बीका क्रिया)
नामक श्रीगणेशजी का खेज पणहू सेन्टी
स्थित आबादी नम्बर 553/84 रकबा 0.0550 हे.
एव आ.नं. 74 रकबा 0.3700 हे. कीता 2 कुल
रकबा 0.4250 हे. भूमि की बिना किसी के
कहे से दरख्ताना की फिर सेटलमेंट नम्बरो अगुवा
पत्तागरी फिर जाने के कोशिश दिए जाते हैं
शुल्क 500000 रुपए अक्षर पत्र ले रुपए प्रजली
वहन करेगी। पालकाय तहकीमदार चित्तौडगढ़
को लिखा जावे कि फलामाग को लिखित
मुचकादेक नियमानुसार पत्तागरी की जावे एवं
पालका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रजली
पत्रावली शुमार होकर नम्बर ले कम है।

ता.की
31/10/2024

(श्याम सुन्दर विशनौड़ी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)